

# मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ



श्री अखिलेश यादव जी  
माननीय मुख्यमंत्री  
उत्तर प्रदेश

गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर तोहफा

**गरीबों के लिये** मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की  
विभिन्न योजनाओं में फ्लैट्स के आवंटन हेतु पंजीकरण  
(पंजीकरण दिनांक 01.02.2016 से 29.02.2016 तक)

श्रेणी	फ्लैट्स की संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व०मी० में)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)	पंजीकरण धनराशि 10% (लाख रुपये में)	आरक्षित वर्ग के आवेदकों लिये पंजीकरण धनराशि 5% (लाख रुपये में)	आवंटन धनराशि	शेष धनराशि की किश्तों विवरण
--------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	--------------	-----------------------------

## शताब्दीनगर, सेक्टर एक, पॉकेट सी (चार मजिला फ्लैट्स)

दुर्बल आय वर्ग	560	31.33	7.336	0.74	0.37	0.74	शेष धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 20 वर्ष की 240 मासिक समान किश्तों में जमा करना होगा। विलम्ब अवधि हेतु दण्ड ब्याज 16 प्रतिशत।
<b>डिफेंस एक्कलेव, पॉकेट ए (चार मजिला फ्लैट्स)</b>							
दुर्बल आय वर्ग	72	31.33	10.23	1.03	0.52	1.03	
<b>गंगानगर योजना पॉकेट एच (चार मजिला फ्लैट्स)</b>							
दुर्बल आय वर्ग	96	31.33	8.35	0.84	0.42	0.84	

दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के विज्ञापित फ्लैट्स के आवंटन हेतु इच्छुक आवेदकों (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है) के परिवार की वार्षिक आय सीमा **1,00,000/-** (एक लाख रुपये मात्र) से अधिक न हो, का सक्षम अधिकारी (तहसील) द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। जिन आवेदकों द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जायेगा उनका पंजीकरण आवेदन पत्र लाटरी ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

- \*आरक्षित वर्ग (अनु०जाति, अनु०जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा विकलांग श्रेणी) के आवेदकों को आरक्षण के प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
  - तालिका में उल्लिखित सम्पत्तियों की संख्या, क्षेत्रफल व कीमत अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।
  - आरक्षण:- आवेदक जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - विज्ञापित बैंक से ऋण की सुविधा।
1. विस्तृत नियम एवम् शर्तों की विवरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित दिनांक 29.02.2016 तक रुपये 200/- के भुगतान पर **इलाहाबाद बैंक** की अधिकृत शाखाओं- (1) मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर शाखा, मेरठ (0121-2647695) (2) तेजगढ़ी मुख्य शाखा, मेरठ (121-4760447) (3) नोएडा स्थित सेक्टर 10 की शाखा (0120-2533831) (4) गाजियाबाद स्थित नवयुग मार्केट शाखा (0120-2797759) (5) बी-3 अशोका निकेतन, आनन्द विहार, नई दिल्ली शाखा (011-23743694) व **आई०डी०बी०आई० बैंक** की अधिकृत शाखाओं- (1) नील कमल, बिल्डिंग, एवेस क्रासिंग, शिवाजी रोड, मेरठ, फोन: 0121-2651325, 7351082777, 9012096096 (2) प्रथम तल, 126/7, आर.टी.ओ. रोड, निकट सैन्ट्रल मार्केट, शास्त्रीनगर मेरठ, फोन: 0121-4019728 (3) सत गुरु प्लाजा, 43 पंजाबी पुरा, दिल्ली रोड, मेरठ फोन: 0121-4008804 (4) 5/2, भोलागंज, दिल्ली रोड, हापुड़, गाजियाबाद, फोन: 0122-2306587/ 88/ 89/ 90 (5) अपॉजिट जे.पी. जनता इन्टर कालेज, निकट मलका पार्क, सिविल लाईन्स काले आम, बुलन्दशहर फोन: 05732-281732/ 281733 (7) सी-78, सुदेश प्लाजा, आर. डी. सी. राजनगर, गाजियाबाद, फोन: 0120-2755409 से मिलेगी तथा आवेदकों के पंजीकरण धनराशि सहित पंजीकरण आवेदन पत्र उन्हीं बैंक की शाखाओं में उक्त दिनांक तक जमा किये जायेंगे।
2. योजना से सम्बन्धित अन्य विवरण/जानकारी योजनाधिकारी, मेरठ विकास प्राधिकरण से (दूरभाष सं. 0121-2665965) किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 3. सम्पत्तियों के पंजीकरण उपरान्त लाटरी ड्रा के सम्बन्ध में विज्ञापन पृथक से जारी किया जायेगा।

Advt No. ..../MDA/2016

सचिव

सुनियोजित विकास प्राधिकरण के साथ

उपाध्यक्ष